मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

रवि कुमार बनाम भूपसिंह आदि

दावा बाबत :– 88 RTACT

मुकदमा नम्बर :– 31/2021

निर्णय दिनांक :– 7-12-2021

वादी की ओर से वकील श्रीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 की ओर से वकील सुरजीत बिश्नोई की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा थेऊ के खाता सं० 215/228 के खसरा सं 340/1 की 1.235 है०, खसरा सं० 820/328 की 0.556 है० कुल 1.719 है० बारानी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम से दर्ज है व रोही मौजा थेऊ के खाता सं० 278/291 के खसरा सं० 328/1 की 2.530 है०, खसरा सं० 570 की 5.678 है० कुल 8.208 है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह के बजाए वादी रविकुमार व प्रतिवादी सं० 1 भूपसिंह व प्रतिवादी सं० 2 मुकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर मुक्त कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प थेऊ

Scanned with CamScanner